राजस्थान सरकार

न्यायालय नायब तहसीलदार रुपनगढ जिला–अजमेर

राजस्व मुकदमा नं. 66/2022 किस्म मुकदमा अंतर्गत धारा 91

उनवान राज.भू. राजस्व अधि. 1956

सरकार जरिये प0ह0 नंवा बनाम उगमाराम पुत्र

गोपीराम जाति जाट निवासी ग्राम नंवा

निर्णय दिनांकः– 12.12.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण संक्षिप्त मे इस प्रकार से है कि ग्राम नंवा के आराजी खसरा नंबर 787/272 किस्म गै.मु. रकबा 0.1618 है. बाड़ व तारबंदी कर गैर सायल ने कब्जा कर लिया गया है। जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला अंतर्गत धारा 91 राज.भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस से तलब किया गया। गैर सायल अनुपस्थित। बार–बार आवाज लगाने पर भी हाजिर नही हुआ। अतः गैर सायल के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होता है अतः गैर सायल को अतिक्रमी घोषित कर मामला निर्णीत किया जाता है।

अतः आदेश दिये जाते है कि गैरसायल को ग्राम नंवा के आराजी खसरा नंबर 787/272 किस्म गै.मु. रकबा 0.1618 हैक्टै से बेदखल किया जाता है तथा लगान 1.30 का 50 गुणा 65/–रुपये जुर्माना किया जाता है तथा गैरसायल को विवादग्रस्त आराजी से भौतिक रुप से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है।

पटवारी/टी.आर.ए.मांग कायमी कर वसूली करे तथा विवादित भूमि पर से गैर सायल को भौतिक रुप से बेदखल कर कब्जा लेकर रिपोर्ट पेश कर।

आदेश मेरे द्वारा कम्प्यूटर में टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। मुकदमा बाद नम्बर से कम होकर पत्रावली पूर्ति संग्रह भण्डार हो।

वर्ष 2022-23 रा.ले.सं. 4 के पृष्ठ संख्या 32 पर रा. 65/- की मांग कायमी की गई। 23/12/22
तहसील राजस्व लेखाकार

नायब तहसीलदार
रुपनगढ(अजमेर)

Scanned by CamScanner